भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड

रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा की जा रही भर्तियाँ -उच्चाधिकार समिति का गठन

14-15 जनवरी 2022 को रेल भर्ती बोर्डों द्वारा जारी की गई गैर - तकनीकी लोकप्रिय कोटियों की केन्द्रीकृत रोजगार अधिसूचना 01/2019 की प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाये गये मुद्दे और संशयों की जाँच करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है।

समिति का गठन इस प्रकार है:

1. श्री दीपक पीटर प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध), रेलवे बोर्ड	अध्यक्ष
2. श्री राजीव गांधी कार्यपालक निदेशक स्थापना (रे.भ.बो.), रेलवे बोर्ड	सदस्य सचिव
3. श्री आदित्य कुमार मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन), पश्चिम रेलवे	सदस्य
4. श्री जगदीश अलगर अध्यक्ष,रे.भ.बो./चेन्नई	सदस्य
5. श्री मुकेश गुप्ता अध्यक्ष, रे.भ.बो./भोपाल	सदस्य

यह समिति उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों की जाँच करेगी और अनुशंसाएँ देगी:

1. केन्दीकृत रोजगार अधिसूचना 01/2019 (गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां) की प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम और शार्टलिस्ट किये गये मौजूदा उम्मीदवारों को प्रभावित किये बिना उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किये जाने में प्रयुक्त विधि।
2. केन्दीकृत रोजगार अधिसूचना आरआरसी 01/2019 में द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का लागू किया जाना।

उम्मीदवार अपने सुझावों को निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर समिति को भेज सकते हैं।

rrbcommittee@railnet.gov.in

सभी रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को भी उनके मौजूदा चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने तथा इन शिकायतों को संकलित कर समिति को भेजने का निर्देश दिया गया है।

उम्मीदवारों को अपनें संशयों को भेजने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है जो कि 16.02.2022 तक है और समिति इन संशयों की जाँच के बाद अपनी अनुसंशाएं 04.03.2022 तक प्रस्तुत करेगी।

उपरोक्त को देखते हुए, 15 फरवरी 2022 को प्रारंभ होने वाली केन्द्रीकृत रोजगार अधिसूचना 01/2019 (गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां) की द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा ओर 23 फरवरी 2022 को प्रारंभ होने वाली केन्द्रीकृत रोजगार अधिसूचना आर.आर.सी. 01/2019 की प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित की जाती हैं।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड

दिनांकः 26.01.2022